न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 19/2023 राजस्व अपील

1. चिरंजीलाल पुत्र गोकल जाति मीना निवासी मोहलाई तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 28.08.2018 जो अपील संख्या 158/2018 उनवानी सरकार बनाम चिरंजीलाल पर पारित किया गया है।)

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः 09.07.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम मोहलाई के खसरा नम्बर 134, 139 किस्म चरागाह के 0.12 है. पर बाजरा की फसल बोकर अतिचार किया है, जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना निर्णय दिनांक 28.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को बेदखली, पेनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड को देखे बिना यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की तामील भी ठीक से नहीं करवाई गई है। अपीलान्ट की तामील हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहली पेशी पर ही निर्णय पारित कर सजा कर दी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा बाजरे [illegible] करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व बेदखली का कोई रिकॉर्ड नहीं था [illegible] पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध था जब तक कानूनन पूर्व बेदखली सिद्ध नहीं हो तब तक सिविल कारावास की सजा पारित नहीं की जा सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु पर गौर [illegible] बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:01:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम मोहलाई तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 139 रकबा 0.06 है. कुल रकबा 0.12 है. भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चावर्ती अतिक्रमी होने का अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट को जारी किये गये नोटिस की तामील वयस्क बेटे से करवाई गई है। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 28.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में रेस्पोडेन्ट चिरंजी की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति पर अपीलान्ट चिरंजी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि नोटिस के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट चिरंजी को जानकारी नहीं हुई और वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में किये गये अतिक्रमण/निर्णय से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर एवं पश्चातवृति अतिक्रमी होने की स्थिति में पूर्व निर्णय/दस्तावेज को संलग्न करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:01:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official